प्रेस विज्ञप्ति
11/07/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने मेसर्स यूनिटेक लिमिटेड, उनके निदेशकों और अन्य के खिलाफ चल रही जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 10/07/2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नई दिल्ली के समक्ष आरोपी व्यक्तियों- रमेश चंद्र और अन्य (जिनमें मेसर्स शिवालिक वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स औरम एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स यूनिटेक बिल्ड टेक लिमिटेड, मेसर्स यूनिटेक गोल्फ रिसॉर्ट्स लिमिटेड और मेसर्स रैंचेरो सर्विसेज लिमिटेड कंपनियां शामिल हैं) के खिलाफ अपनी दूसरी पूरक अभियोजन शिकायत (एसपीसी) दायर की है।

ईडी ने मेसर्स यूनिटेक लिमिटेड, रमेश चंद्रा, संजय चंद्रा, प्रीति चंद्रा, अजय चंद्रा और अन्य के खिलाफ सीबीआई और दिल्ली पुलिस द्वारा भादस, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमीकियों के आधार पर जांच शुरू की।

यह शिकायत पहले से चल रही एक धन शोधन जाँच का हिस्सा है, जिसमें यूनिटेक लिमिटेड द्वारा शुरू की गई आकर्षक आवास योजनाओं/परियोजनाओं में 29,800 से ज़्यादा ईमानदार घर क्रेताओं ने अपने जीवन भर की बचत और मेहनत की कमाई निवेश की थी। यूनिटेक लिमिटेड के प्रमोटरों (रमेश चंद्रा, संजय चंद्रा, अजय चंद्रा, आदि) ने सह-षड्यंत्रकारियों के साथ मिलीभगत कर एक आपराधिक षडयंत्र रचा और निवेशित राशि को आपराधिक रूप से डायवर्ट करके, स्तरीकृत करके और धनशोधन करके घर क्रेताओं के साथ धोखाधड़ी की। घर क्रेताओं को अंधेरे में रखा गया और निर्धारित समय सीमा के बाद भी उन्हें कोई घर नहीं दिया गया।

ईडी की जांच से पता चला है कि यूनिटेक लिमिटेड द्वारा घर क्रेताओं और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त कुल 16075.89 करोड़ रुपये की धनराशि में से 7794.35 करोड़ रुपये की धनराशि को यूनिटेक लिमिटेड ने गैर-घोषित उद्देश्यों के लिए विपथित (डायवर्ट) किया।

ईडी की जांच से पता चला कि रमेश चंद्रा और उनके परिवार ने निम्नलिखित कार्यप्रणाली का उपयोग करते हुए धन को अपनी विभिन्न बेनामी फर्मों और व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों में हस्तांतरित किया, तथा धन को अपने निजी उपयोग के लिए रखा:-

1. कंपनियों के शेयरों का उनके वास्तविक बाजार मूल्य से बहुत अधिक कीमत पर अधिग्रहण करना। इस प्रणाली का उपयोग करके धनराशि कार्नौस्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और शिवालिक समूह को हस्तांतरित की गई।
2. निवेशकों के धन को वास्तविक रियल एस्टेट व्यवसाय में उपयोग के उद्देश्य वाले वेंचर कैपिटल का निजी उपयोग के लिए दुरुपयोग करना। इसी कार्यप्रणाली का उपयोग करके यूनिटेक लिमिटेड द्वारा सीआईजी रियल्टी फंड-I, सीआईजी रियल्टी फंड-II और सीआईजी रियल्टी फंड-IV का दुरुपयोग किया गया।

3. कई बेनामी संस्थाओं और फर्जी कंपनियों के माध्यम से स्तरीकरण और विपथित (डायवर्ट) किए गए धन को संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित करके और फिर संयुक्त अरब अमीरात, केमैन द्वीप और सिंगापुर के रास्ते भारत वापस लाकर धन शोधन करना। चंद्रा परिवार ने इस तरीके से धन शोधन के लिए त्रिकार समूह (कंपनियों का) बनाया था।
4. अपराध से अर्जित आय (पीओसी) को भारत से बाहर ले जाना और परिवार के सदस्यों और बेनामी संस्थाओं के नाम पर संपत्तियां खरीदना। प्रीति चंद्रा ने इस डायवर्ट का इस्तेमाल करके दुबई में तीन फ्लैट खरीदे थे।
5. यूनिटेक लिमिटेड में धन का प्रवाह और विभिन्न समूह कंपनियों/संस्थाओं में इसका विपथन(डायवर्जन) नीचे दर्शाया गया है:

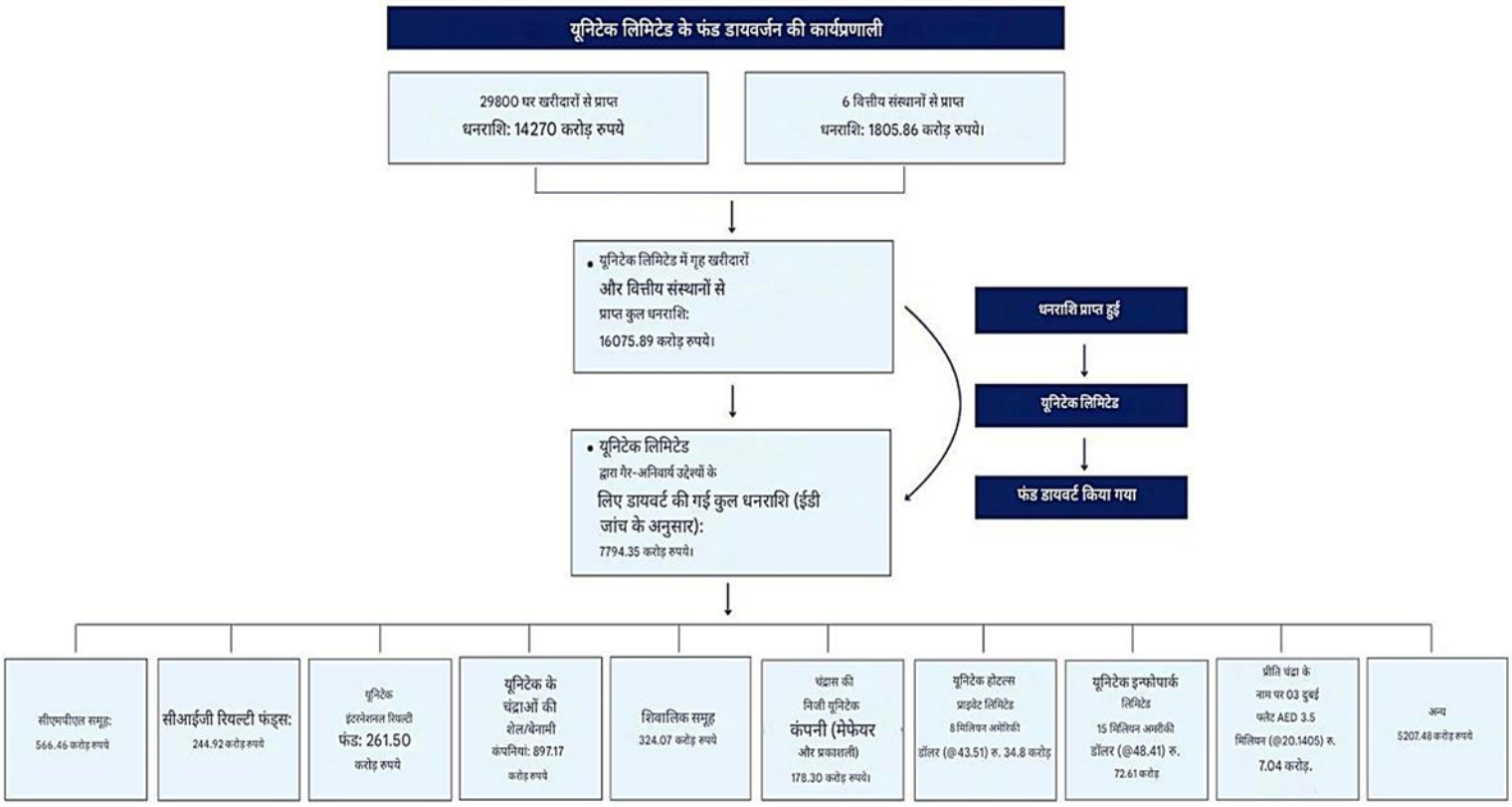

अब तक 1621.91 करोड़ रुपये मूल्य की अपराध से अर्जित आय (पीओसी) की पहचान की गई है, और 21 अनंतिम कुर्की आदेशों (पीएओ) के माध्यम से 1621.91 करोड़ रुपये कुल कीमत की कुल 1291 संपत्तियाँ कुर्क की जा चुकी हैं। सभी पीएओ की पुष्टि विद्वान न्याय-निर्णयन प्राधिकारी द्वारा की जा चुकी है।

इस दाखिल के साथ, ईडी ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नई दिल्ली के समक्ष तीन अभियोजन शिकायतें (एक मूल और दो अनुपूरक) दायर करके अब तक कुल 105 व्यक्तियों और संस्थाओं को आरोपी के रूप में दोषारोपित किया है।

आगे की जांच जारी है।